न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–129/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. वन विभाग अलवर जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी तालवृक्ष तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट

बनाम

1. रमेश सिंह पुत्र गोपीसिंह जाति राजपूत
2. राजू सिंह पुत्र गोपीसिंह जाति राजपूत निवासीयान ढाणी बागावाली नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

..... रेस्पोडेन्ट

3. श्रीमान तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर थानागाजी जिला अलवर राज0

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
1. श्री संजीव कारगवाल, राजकीय अभिभाषक ।
2. श्री पवनसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.03.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 27.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 वाके ग्राम बैरावास तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है इस आराजी पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं जो इन्द्राज बाबत राजस्व रिकार्ड में खातेदारी चली आ रही है तथा वादीगण द्वारा अरसा दराज से पक्का डण्डा निर्माण कर रखा है। इस आराजी के पश्चिमी भाग की तरफ वन विभाग की आराजी खसरा नं0 386 एवं 387 स्थित है, जिस पर वन विभाग द्वारा पत्थरगढी कर रखी है। दिनांक 31.12.2015 की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट, जो रेस्पोडेण्ट को बिना सूचित किए हुए बनाई, उसके अनुसार रेस्पोडेण्ट द्वारा खसरा नं0 386 के 0.15 है0 एवं खसरा नं0 386 व 387 में 0.23 है0 में अतिक्रमण बताया

है। मौका रिपोर्ट खिलाफ मौका है। इस को आधार मानकर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2016 को नोटिस धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम गलत सर्वे के आधार पर दिया गया है।

इस पर रेस्पोडेण्ट(वादी) द्वारा धारा अन्तर्गत 88, 89 तथा 98 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपीलाण्ट(प्रतिवादीगण) के विरूद्ध दावा किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर इस प्रकार आदेश पारित किया कि अतः आदेश दिया जाता है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाता है कि वे वादीगण को हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 371 लगायत 377 वाके ग्राम बैरावास से वादीगण को बेदखल ना करे और ना कोई तोड फोड करे। तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें व संयुक्त टीम की मौका रिपोर्ट के आधार के कारण अतिक्रमण सिद्ध नही होने पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही बाबत आराजी खसरा नंबर 386, 387, 378 वाके ग्राम बैरावास विरूद्ध वादीगण स्थगित की जाती है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का दावा बाद विचारण स्वीकार कर अपने निर्णय दिनांक 27.07.2018 के द्वारा आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। जिस निर्णय दिनांक 27.07.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा यह जाहिर किया गया कि वादीगण विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं जबकि विवादित आराजी खसरा नं0 386, 387 एवं 378 गैर मुमकिन बेहड भूमि है तथा महकमा जंगलात के नाम दर्ज है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नही करते हुये खिलाफ कानून व खिलाफ रिकार्ड निर्णय पारित किया है। विवादित आराज़ी की बाबत न्यायालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव अकबरपुर बाघ परियोजना सरिस्का के समक्ष बउनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी तालवृक्ष बनाम रमेश सिंह, राजू सिंह के विरूद्ध धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही दावा दायरी से पूर्व से ही विचाराधीन है जिस कार्यवाही में रेस्पो0 वादी स्वयं उपस्थित न्यायालय हो चुका है और उसे उक्त कार्यवाही की बखूबी जानकारी थी जिसमें बार–बार जबाव का अवसर लेने पर भी रेस्पो0 द्वारा कार्यवाही से बचने के लिये जबाव पेश नही किया गया जिस पर न्यायालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव अकबरपुर द्वारा जबाव बन्द कर दिया जिस पर रेस्पो0 राजस्व मंडल अजमेर गया जहां से उक्त आदेश को अपास्त करा लाया और जबाव पेश किया । इस प्रकार रेस्पो0 वादी को जिस कार्यवाही की जानकारी बखूबी रूप से रही है जिसके बावजूद तथाकथित तथ्य दर्ज करते हुये खिलाफ मौका खिलाफ कानून वादी रेस्पो0 द्वारा वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जो श्रवण धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही दीगर न्यायालय में विचाराधीन रहते हुये श्रवण योग्य व पोषणीय नही था। विवादित भूमि खसरा नं0 386, 387 एवं 378 महकमा जंगलात विभाग के नाम दर्ज चली आ रही है और संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आराजी वन विभाग के कब्जा में है जिस पर बतौर अतिक्रमी वादी रेस्पो0 काबिज रहे हैं जबकि रिकार्ड के खिलाफ वादी रेस्पो0 को दावा दायरी का कतई

कानूनी अधिकार नही था और ना ही वादीगण किसी प्रकार से अपीलांट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नही किया। विवादित भूमि सिवायचक गैर मुमकिन बीहड भूमि है और राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सिवायचक गैर मुमकिन बीहड भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र में आती है और जिसे किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2018 अपास्त किया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उक्त विवादित आराजी पर वादीगण रेस्पो0 काबिज नहीं है। वादी रेस्पो0 आराजी खसरा नं0 370 लग0 377 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण रेस्पो0 द्वारा पक्का डण्डा का निर्माण अरसे दराज से कर रखा है। इस डण्डे के बाद वन विभाग द्वारा अपनी आराजी के पश्चिम में पत्थरगढी कर रखी है जो आज भी मौके पर है। वादीगण रेस्पो0 की उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ वन विभाग की आराजी खसरा नंबर 387, 386 की आराजी है जो मौके पर खाली पडी हुई है जिस पर वन विभाग द्वारा पत्थरगढी कर ली। रेस्पो0 द्वारा दिनांक 23.10.2008 को अपने खसरा नंबर 370, 373, 374, 375, 376, 377 की पैमाईश (सीमाज्ञान) तहसीलदार व भू–प्रबंध अधिकारी अलवर के कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा करायी गई जिसकी एक रिपोर्ट मय नक्शा तैयार किया गया जिसमें वादीगण द्वारा अपनी आराजी पर काबिज होना पाया जो दावा हाजा के साथ संलग्न है। उक्त पैमाईश रिपोर्ट वादी मय नक्शा जिला कलक्टर (भू0अ0) एवं तहसीलदार थानागाजी को भेजी जा चुकी है। जो इनके रिकार्ड में आज भी है। दिनांक 31.12.2015 को प्रतिवादीगण तहसीलदार थानागाजी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी तालवृक्ष तहसील थानागाजी के पत्र क्रमांक 1004–8 दिनांक 30.12.2015 तहसीलदार थानागाजी एवं उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का के पत्र क्रमांक 10333–31 दिनांक 17.12.2015 के आदेशानुसार एक संयुक्त सर्वे को मय अपने कर्मचारी के बनायी गई। जिसके तहत वादी के द्वारा खसरा नंबर 386 के 0.18 है0 क्षेत्र में पक्का निर्माण व खसरा नंबर 386 व 387 के 0.23 है0 में पक्की दीवार निर्मित कर काश्त की गई है। खसरा नंबर 378, 386, 387 वन विभाग की खातेदारी की आराजी है यह संयुक्त सर्वे रिपोर्ट मौका खिलाफ मौका है।वादी रेस्पो0 ने कोई भी वन विभाग की आराजी पर अतिक्रमण नही कर रखा है। वादी रेस्पो0 अरसे दराज से अपनी खातेदारी की आराजी पर काश्त कर रहा है।वन विभाग ने कभी भी आज तक 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस नही दिया। उक्त संयुक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 91 एल आर एक्ट का नोटिस दिया गया है जबकि ये रिपोर्ट वादी की अनुपस्थिति में बिना किसी मुस्तकिल बिन्दु को (नापने के बिंदु) मानकर बनाई गई है। जो मौका रिपोर्ट बिल्कुल गलत व खिलाफ मौका है। जिसके आधार पर क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा नोटिस धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम दिनांक 01.01.2016 को गलत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है।

वादी रेस्पो0 द्वारा पूर्व में दिनांक 23.10.2008 को सेटलमेंट व वन विभाग अधिकारीगण द्वारा खसरा नंबर 370, 373, 374, 375, 376, 377 तक की पैमाईश करायी गई थी जिसमें भी वादी द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में पक्का डण्डा तक कोई अतिक्रमण करना नही पाया। जिसकी जानकारी भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा तहसीलदार थानागाजी व जिला कलक्टर

(भू0अ0) अलवर को पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 17.12.2008 को दी गई थी। जिसे वादी ने प्रतिवादीगण को अवगत करा दिया था। उपरोक्त सर्वे मौका रिपोर्ट व मौका की वर्तमान स्थिति से साफ जाहिर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.12.2015 की पैमाईश रिपोर्ट गलत व वादी की गैर मौजूदगी में उसे परेशान व जबरदस्ती अतिक्रमी मानकर की गई कार्यवाही है तथा उक्त संयुक्त सर्वे रिपोर्ट को आधार मानकर वादी को दिनांक 01.01.2016 को नोटिस व भू राजस्व अधियिम की धारा 91 के तहत दिया गया नोटिस गलत है। पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 23.01.2008 से प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 को अवगत करा दिया और उन्हें लिखित में भी विवादित भूमि की पैमाईश सेटिलमेंट विभाग तहसीलदार विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पुनः वादीगण की उपस्थिति में राये जाने बाबत दे दिया परन्तु प्रतिवादी संख्या 02 सहायक वन संरक्षक ने नोटिस व संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दिनांक 31.12.2015 के आधार पर वादीगण के डण्डे व मकानात को तोडने व उसे बेदखल करने पर उतारू है। इसके अलावा श्रीमान् भू–प्रबंध अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 694 दिनांक 19.04.18 द्वारा भी उक्त विवादित अतिक्रमित खसरा नं. 377,378 एवं 386 का पुनः सीमा ज्ञान दिनांक 24.04.18 से 26.04.18 तक ई.टी.एस. मशीन द्वारा मौके का सर्वेक्षण करवाया गया जिसमें भी वन विभाग की आराजी खसरा नं0 377 एवं 386 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं पाया गया। जब सर्वे रिपोर्ट गलत केन्द्र बिंदु व आधारों पर तैयार किया जाना साबित है तो उसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 2 द्वारा तैयार किया नोटिस अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वतः ही गलत व ड्रोप होने योग्य है। तहत न्यायालय द्वारा सर्वे रिपोर्ट 19.04.16 के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 का अवलोकन किया।

विवादित आराजीयात का प्रथम बार सीमा ज्ञान 23.10.2008 को भू–प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा करवाया गया। ग्राम बैरावास में खसरा नं0 370 एवं 373 से 377 तक का सीमा ज्ञान करने बाबत मौका मिलान करने के उपरान्त खसरा नं0 405 कुआँ को मुस्तकिल बिन्दु बनाया गया। इस मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर नक्शे के आधार पर पैमाइश की गई जिससे खसरा नं0 376 की सीमा सही पाई गई। इसी के आधार पर अन्य खसरा नम्बरान की पैमाइश की गई। रिपोर्ट में कहीं भी वन विभाग की भूमि के अतिक्रमण का उल्लेख नहीं है।

पुनः 31.12.2015 में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम बैरावास स्थित श्री रामसिंह शेखावत के खेतों का सीमा–ज्ञान किया गया। जिसमें वन विभाग के खसरा नं0 386 में 0.18 है0 एवं 386 व 387 में 0.23 है0 क्षेत्र में रेस्पोडेण्ट का अतिक्रमण पाया गया।

भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का पुनः मौके का सर्वेक्षण कार्य वन विभाग, तहसील एवं भू–प्रबंध विभाग की संयुक्त टीम बनाकर ई.टी.एस. मशीन द्वारा यह कार्य करवाये जाने पर खसरा नं0 405 कुआँ को बेस पॉइन्ट मानते हुए पैमाइश की गई। खसरा नं0 377 का उत्तरी–पूर्वी कोना कायम करने पर निर्मित दिवार खसरा नं0 377 एवं 386 के अनुसार मध्य मेड़ में सही पाई गई। जीपीएस द्वारा बेस पॉइंट को नापकर खसरा नं0 377 के सभी कोनो के निशानदेही का कार्य किया गया।

इस सर्वेक्षण में भी वन विभाग की आराजी खसरा नं0 377, 378 एवं 386 में किसी प्रकार के अतिक्रमण का उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार प्रथम बार सीमाज्ञान दिनांक 23.10.2008 एवं तृतीय बार का मौका सर्वेक्षण जो कि संयुक्त टीम, ई.टी.एस. मशीन द्वारा एवं जीपीएस तकनीक का उपयोग लेकर की गई उसमें भी किसी प्रकार का अतिक्रमण का अंकन नहीं है। इस विवेचना के आधार पर न्यायालय अपीलांट की अपील सारहीन पाता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 27.07.2018 यथावत जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16.3.20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर